



ऑन लाईन नं. RCMS 2018/00019

न्यायालय : न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी : नखतदान बारहठ, आर.ए.एस.

न्याय निर्णयन आवेदन सं० 01/2018

श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यलय अभिहित अधिकारी, (खाद्य सुरक्षा)
एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर

बनाम

1. रामस्वरूप कुमार गोयल पुत्र स्व. श्री हुकमचन्द गोयल, जाति अग्रवाल, निवासी 67
जी ब्लॉक, श्रीगंगानगर

मै० रामस्वरूप देशराज कुमार, 24, इन्डस्ट्रियल एरिया, श्रीगंगानगर

अभियुक्त

अपराध अ० धारा 26 उपधारा 2(II)खाद्य सुरक्षा
एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम 2011

निर्णय

दिनांक : 26.02.2018



सक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री विनोद कुमार खाद्य सुरक्षा अधिकारी, दिनांक 27.10.2016 को कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर का कार्य सम्पादन कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित गजट नोटिफिकेशन के अनुसार श्री विनोद कुमार शर्मा को खाद्य सुरक्षा अधिकारी, नियुक्त किया गया है। आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक(जन स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 28.09.2016 के अनुसार उन्हें कार्य क्षेत्र मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर आवंटित किया गया है। श्रीगंगानगर कार्यालय के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र उनके कार्यक्षेत्र में बताये हैं।

श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 18.02.2017 को दोपहर 05.00 पी.एम.पर फर्म मै० रामस्वरूप देशराज कुमार, 24, इन्डस्ट्रियल एरिया, श्रीगंगानगर पहुंचा एवं उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया और परिचय लिया। वहां फर्म मालिक रामस्वरूप कुमार गोयल पुत्र स्व. श्री हुकमचन्द गोयल, जाति अग्रवाल, निवासी 67 जी ब्लॉक, श्रीगंगानगर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से मौजूद थे एवं आम जनता को **Cooking oil (Mustard Oil)(Kranti Brand)** आदि विक्रय कर रहे थे।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान खाद्य पदार्थ **Cooking oil (Mustard Oil)(Kranti Brand)** के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत, जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की, दुकान में गते के कार्टून में बिक्री हेतु मौजूद **Cooking oil (Mustard Oil)(Kranti Brand)** 140X350 ML पैकड बोतल में से जांच हेतु 4 पैकड बोतले **Cooking oil (Mustard Oil) (Kranti Brand)** खरीदा **Cooking oil (Mustard Oil) (Kranti Brand)** की कीमत 130/- रू अदा किये एवं रसीद तैयार की, फार्म संख्या 5ए तैयार किया, खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। फार्म नं 05 की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता को देकर रसीद प्राप्त की। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाहों को चार साफ सूखी एवं खाली प्लास्टिक की बोतलें दिखाई, लेबल पर कोड एवं सीरियल नम्बर, दिनांक, स्थान खाद्य पदार्थ का नाम अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात्

M.C.
जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

खरीदशुदा **Cooking oil (Mustard Oil)(Kranti Brand)** को चारो नमूना प्लास्टिक बोतलों में बराबर-बराबर भरा, प्रत्येक नमूना बोतलों पर एक एक लेबल गोंद से चिपकाया चारो नमूना बोतलों को कोर्क से एयरटाइट बंद किया चारों नमूना भागों को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप के-763 को नियमानुसार नीचे से ऊपर गोंद से चिपकाया, प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाएं एवं स्वयं ने हस्ताक्षर किये, चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की, जिसे खाद्य कारोबारकर्ता रामस्वरूप कुमार गोयल ने पढकर, समझकर हस्ताक्षर किये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म नं 06 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिसमें नमूना सील मोहर किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 06 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर किया। अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) ने नमूने का एक भाग एवं फार्म 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म 6 का सील बन्द लिफाफा डी.ओ. कम सी.एम.एच.ओ. श्रीगंगानगर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

स्टेट सैन्ट्रल पब्लिक हैल्थ लैबोरेटरी, जयपुर (राजस्थान) द्वारा जारी जांच रिपोर्ट क्रमांक: एलएस/334/एक्ट/2017/401 दिनांक 15.03.2017 प्राप्त हुई, जिसके अनुसार खाद्य नमूना के-763 **Cooking oil (Mustard Oil)(Kranti Brand)** अमानक स्तर(**Substandard Food & Mibranded Food**) होना पाया गया। इस पर अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर ने प्रकरण में अभियुक्त रामस्वरूप कुमार गोयल पुत्र स्व. श्री हुकमचन्द गोयल मै0 रामस्वरूप देशराज कुमार, 24, इन्डस्ट्रियल एरिया, श्रीगंगानगर द्वारा अमानक स्तर **Cooking oil (Mustard Oil) (Kranti Brand)** का विक्रय किये जाने को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत न्याय निर्णयन आवेदन दिनांक 11.01.2018 को प्रस्तुत किया गया।

परिवाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अभियुक्त को तलब किया गया। अभियुक्त को परिवाद की प्रति उपलब्ध कराई गई।

अभियुक्त ने अपने जवाब में कथन किया है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जिस **Cooking oil (Mustard Oil)(Kranti Brand)** का नमूना जांच हेतु लिया था वह जांच रिपोर्ट के अनुसार (**Substandard Food & Mibranded Food**) पाया गया है। प्रार्थी एक छोटा दुकानदार है और खुदरा का कारोबार करता था। प्रार्थी द्वारा अब कुकिंग ऑयल बिल से लेकर आगे उसी स्तर पर बेचान कर दता था। प्रार्थी द्वारा अब कुकिंग ऑयल का काम बन्द कर दिया गया है। अतः फर्म रामस्वरूप दास राजकुमार प्रा0 राजकुमार गोयल पुत्र हुकमचन्द को क्षमा प्रदान करें। अतः लोक अदालत की भवना से कम से कम जुर्माना लगाते हुए इस प्रकरण को समाप्त करने की कृपा करें।

परिवाद पर दोनों पक्षों को सुना गया।

राज पैरोकार ने अपनी बहस में बताया कि अभियुक्त से लिया गया **Cooking oil (Mustard Oil) (Kranti Brand)** का सैम्पल के-763 जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/334/एक्ट/2017/401 दिनांक 15.03.2017 द्वारा (**Substandard Food & Mibranded Food**) होना पाया गया है। जांच रिपोर्ट के अनुसार बिन्दु संख्या 02- **Cooking oil (Mustard Oil)(Kranti Brand)**= 61-2 प्रतिशत पाया गया जबकि Minimum an 168-0 to 177-0 % होना चाहिए था। अतः अभियुक्त के खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) उल्लंघन तथा धारा 51 व 52 के तहत जुर्माना योग्य अपराध साबित होता है।



श्रीगंगानगर (राज.)
अभियुक्त

अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जवाब में वर्णित तथ्यों को ही बहस में दोहराते हुए कहा है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने जिस **Cooking oil (Mustard Oil)(Kranti Brand)** का नमूना जांच हेतु लिया था वह जांच रिपोर्ट के अनुसार (**Substandard Food & Mibranded Food**) पाया गया है। प्रार्थी एक छोटा दुकानदार है और खुदरा का कारोबार करता था। प्रार्थी द्वारा अब कुकिंग ऑयल बिल से लेकर आगे उसी स्तर पर बेचान कर दता था। प्रार्थी द्वारा अब कुकिंग ऑयल का काम बन्द कर दिया गया है। अतः फर्म रामस्वरूप दास राजकुमार प्रा० राजकुमार गोयल पुत्र हुकमचन्द को क्षमा प्रदान करें। अतः लोक अदालत की भवना से कम से कम जुर्माना लगाते हुए इस प्रकरण को समाप्त करने की कृपा करें।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।


इस प्रकार अभियुक्त से लिया गया Sample of "**Cooking oil (Mustard Oil)(Kranti Brand)**" bearing Code No. and Sr. No. K-763 of Designated Officer cum The Chief Medical & Health Officer, Sriganganagar is (**Substandard Food & Mibranded Food**) Under Section 3[1][zx] & 3[1][zf][c][i] of FSS Act, 2006 it dosen not conform to the prescribed of mustard edible oil and it is Contravene Regulation 2.2.2[2], 2.2.2[7], 2.2.2[8], 2.2.2[9], 2.2.2[10] of FSS [Packaging and Labelling] Regulation 2011. जाँच रिपोर्ट पर अविश्वास करने का कोई कारण नहीं है।

फलस्वरूप अभियुक्त को एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 51 के तहत जुर्माने से दण्डित किये जाने के अन्तर्गत राशि रूपये 4,000-00 (अखरे चार पांच हजार मात्र) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है।

अभियुक्त को यह निर्देश दिये जाते हैं कि भविष्य में **Cooking oil (Mustard Oil)(Kranti Brand)** के लिए उच्च गुणवत्ता के घटकों का इस्तेमाल करें, ताकि ऐसे खाद्य पदार्थों से उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। इन आदेशों की पालना सख्ती से की जावे। निर्णय की प्रति मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।




(नखतदान बारहठ)
न्यायाधीश/निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशा०)
श्रीगंगानगर